अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

(दं0 प्र0 सं0 144 के तहत वाद सं0–162/2022)

सरयू महतो वगैरह —बनाम्— दीपक शर्मा

आदेश

06.08.22 थाना प्रभारी, देवरी के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने खतियानी भूमि के लगान का भुगतान कर दखलकार रहने तथा द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि को जबरन हड़पने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत कर कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत परिवर्त्तित करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से केवाला नं0–1257, दिनांक–13.07.2017 के माध्यम से अपनी माता के नाम खरीदगी भूमि पर नामांतरण एवं लगान के भुगतान सहित दखलकार रहने का तथ्य प्रस्तुत कर प्रथम पक्ष द्वारा जबरन बेदखल करने को प्रयासरत रहने का उल्लेख किया गया तथा जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से खतियान एंव खरीदगी दस्तावेज आधारित पक्षकारों के वास्तविक दखल संबंधी उत्पन्न विवाद का निदान इस कार्यवाही के तहत होना संभव नहीं रहने की स्थिति मे वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

06/08/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित
06/08/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.06.13 20:48:41 +05:30
Location: 192.168.1.5

Scanned with CamScanner